

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अनिल कुमार एवं एक अन्य

बनाम

बिहार राज्य

2020 की आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 417

[के साथ 2021 की आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 76 और

2021 की आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 477]

28 जून 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री चक्रधारी शरण सिंह एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र प्रकाश सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या सीतामढ़ी महिला थाना कांड सं. 27/19 से उत्पन्न सा.पंजी. सं. 2454/19, परीक्षण सं. 90/19 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम और अनु. जाती/अनु. जनजाति अधिनियम), सीतामढ़ी द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 376-घक, 354-क, 354-ख और 506—लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012—धारा 6—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000—धारा 67-ख—सामूहिक बलात्कार—दो नाबालिग लड़कियों के साथ अपीलकर्ताओं द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया—अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि घटना की तारीख तक पीड़ितों की उम्र 18 वर्ष से कम थी—चिकित्सा बोर्ड ने विकिरण-चिकित्सात्मक किरण जांच के आधार पर दोनों पीड़ितों की उम्र 16-18 वर्ष के बीच आंकी—सामूहिक बलात्कार करते समय अपीलकर्ताओं द्वारा वीडियो बनाया गया था, इसे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा

गया—न तो मोबाइल जब्त किया गया और न ही इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की सामग्री साबित हुई।

निर्णय: विद्यालय पंजिका पेश किया गया, लेकिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक की जाँच नहीं की गई और न ही प्रवेश पंजिका की सामग्री साबित की गई—चिकित्सा बोर्ड को पीड़ितों के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं मिली—प्राथमिकी दादा द्वारा लिखी गई थी, जिनकी जाँच नहीं की गई—सामूहिक बलात्कार के आरोप का समर्थन न तो चिकित्सा साक्ष्यों से होता है और न ही न्यायालयिक जाँच के परिणामों से—पीड़ितों की माँ, जो घर में मौजूद थीं और जिन्हें पीड़ितों ने सबसे पहले घटना के बारे में बताया था, की जाँच न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है—अभियोजन पक्ष बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के अपराध के होने को सभी उचित संदेहों से परे साबित नहीं कर पाया है—दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और सजा का आक्षेपित आदेश रद्द—अपील स्वीकार की जाती है। (कंडिका 21 से 30, 42, 43, 45)

न्याय दृष्टान्त

अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल, (2020) 7 एससीसी 1; जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 7 एससीसी 263; रजक मोहम्मद बनाम एच.पी. राज्य, (2018) 9 एससीसी 248; अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर, (2014) 10 एससीसी 473—पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012; किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2020।

मुख्य शब्दों की सूची

पीड़ित, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, चिकित्सा साक्ष्य समर्थित नहीं, प्राथमिकी, विद्यालय पंजिका, पीड़ितों के शरीर पर बाहरी या आंतरिक चोटें।

प्रकरण से उत्पन्न

सीतामढ़ी महिला थाना कांड सं. 27/19 से उत्पन्न जीआर सं. 2454/19, परीक्षण सं. 90/19 में विद्वान प्रथम अपरसत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम और अनु. जाती/अनु. जनजाति अधिनियम), सीतामढ़ी द्वारा दिनांक 06.03.2020 को दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 17.03.2020 को सजा के आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(सभी अपीलों में)

अपीलकर्ता की ओर से: श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता; श्री रित्वाज रमन, अधिवक्ता; श्री मोहम्मद इम्तेयाज अहमद, अधिवक्ता; श्री रित्विक ठाकुर, अधिवक्ता; श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता।

उत्तरदाता-राज्य की ओर से: सुश्री शशि बाला वर्मा, स.लो.अ.।

सूचक की ओर से: श्रीमती अलका वर्मा, अधिवक्ता; श्रीमती मीरा कुमारी, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2020 की आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 417

थाना कांड सं.- 27 वर्ष- 2019 थाना- महिला थाना जिला- सीतामढ़ी से उद्भूत

=====

1. अनिल कुमार, पिता- श्री लाल बाबू महतो उर्फ लालू महतो, निवासी गाँव- इंदरवा, थाना- कन्हौली, जिला- सीतामढ़ी।
2. परशुराम कुमार उर्फ परशुराम कुमार पिता- श्री जय नारायण महतो उर्फ जय नारायण भगत निवासी गाँव- इंदरवा, थाना- कन्हौली, जिला- सीतामढ़ी।

... .. अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2021 की आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 76

थाना कांड सं.- 27 वर्ष- 2019 थाना- महिला थाना जिला- सीतामढ़ी से उद्भूत

=====

1. नागेंद्र कुमार पिता- सब नारायण महतो उर्फ शुभ नारायण महतो निवासी गाँव- इंदरवा, थाना- कन्हौली, जिला- सीतामढ़ी।
2. राजू कुमार उर्फ डाकमा उर्फ डाकमा कुमार उर्फ शत्रुघन पिता- स्वर्गीय चंद्रेश्वर महतो निवासी गाँव- इंदरवा, थाना- कन्हौली, जिला- सीतामढ़ी।

... .. अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2021 की आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 477

थाना कांड सं.- 27 वर्ष- 2019 थाना- महिला थाना जिला- सीतामढ़ी से उद्भूत

=====

1. कमलेश कुमार पिता- राम इकबाल महतो निवासी गाँव- वार्ड सं. 2 इंदरवा, थाना- कन्हौली, जिला- सीतामढ़ी।
2. गोविन्दा कुमार पिता- गुडार महतो निवासी गाँव- वार्ड सं. 2 इंदरवा, थाना- कन्हौली, जिला- सीतामढ़ी।
3. सुजीत कुमार पिता- स्वर्गीय लाल बाबू महतो निवासी गाँव- वार्ड सं. 2 इंदरवा, थाना- कन्हौली, जिला- सीतामढ़ी।

... .. अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

(सभी अपीलों में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

श्री ऋत्विज रमन, अधिवक्ता

श्री मो. इम्तियाज़ अहमद

श्री ऋत्विक् ठाकुर, अधिवक्ता

श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता राज्य के लिए : सुश्री शशि बाला वर्मा, स.लो.अ.

सूचक के लिए : श्रीमती अलका वर्मा, अधिवक्ता

श्रीमती मीरा कुमारी, अधिवक्ता

=====

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री चक्रधारी शरण सिंह

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र प्रकाश सिंह

सी.ए.वी. निर्णय

(प्रति : माननीय न्यायमूर्ति श्री चक्रधारी शरण सिंह)

तारीख : -06-2023

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत प्रस्तुत ये अपीलें, सीतामढ़ी महिला थाना मामला सं. 27/19 से उत्पन्न, सा.पंजी. सं. 2454/19, परीक्षण सं. 90/19 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम और अनु. जाती/अनु. जनजाति अधिनियम), सीतामढ़ी द्वारा दिनांक 06.03.2020 को पारित दोषसिद्धि के एक ही निर्णय और दिनांक 17.03.2020 के सजा आदेश से उत्पन्न हुई हैं, और इसलिए, इन अपीलों की एक साथ सुनवाई की गई है और वर्तमान आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा इनका निपटारा किया जा रहा है।

2. आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार सजा सुनाई गई है :-

2020 की आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 417				
	धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया	सजा		
		कारावास	जुर्माना (रु.)	जुर्माना के चूक में
अपीलकर्ता	भारतीय दंड संहिता की	जीवन (अपने)	25,000/-	-

सं. 1 (अनिल कुमार)	376 घक	शेष प्राकृतिक जीवन के लिए)		
	भारतीय दंड संहिता की 354-क, 354-ख और 506	-	-	-
	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की 6	-	-	-
	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2020 की धारा 67-ख	-	-	-.
	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v)।	जीवन	5,000/-	तीन महीने सश्रम कारावास
अपीलकर्ता सं. 2 (परशुराम कुमार उर्फ परशुराम कुमार)	भारतीय दंड संहिता की 376 घक	जीवन (अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए)	25,000/-	-

	भारतीय दंड संहिता की 354-क, 354-ख और 506	-	-	-
	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6	-	-	-
	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2020 की धारा 67-ख	-	-	-
	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v)।	जीवन	5,000/-	तीन महीने सश्रम कारावास
2021 की आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 76				
अपीलकर्ता सं. 1 (नागेंद्र कुमार)	भारतीय दंड संहिता की 376 घक	जीवन (अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए)	25,000/-	-
	भारतीय दंड संहिता की 354-क, 354-ख और 506	-	-	-
	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012	-	-	-

	की धारा 6			
	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2020 की धारा 67-ख	-	-	-
	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v)।	जीवन	5,000/-	तीन महीने सश्रम कारावास
अपीलकर्ता सं. 2 (राजू कुमार उर्फ डाकमा उर्फ डाकमा कुमार उर्फ शत्रुघ्न)	भारतीय दंड संहिता की 376 घक	जीवन (अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए)	25,000/-	-
	भारतीय दंड संहिता की 354-क, 354-ख और 506	-	-	-
	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012	-	-	-

	की धारा 6			
	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2020 की धारा 67-ख	-	-	-
	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v)।	जीवन	5,000/-	तीन महीने सश्रम कारावास
2021 की आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 477				
अपीलकर्ता सं. 1 (कमलेश कुमार)	भारतीय दंड संहिता की 376 घक	जीवन (अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए)	25,000/-	-
	भारतीय दंड संहिता की 354-क, 354-ख और 506	-	-	-
	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6	-	-	-
	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2020 की धारा 67-ख	-	-	-

	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v)।	जीवन	5,000/-	तीन महीने सश्रम कारावास
अपीलकर्ता सं. 2 (गोविंदा कुमार)	भारतीय दंड संहिता की 376 घक	जीवन (अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए)	25,000/-	-
	भारतीय दंड संहिता की 354-क, 354-ख और 506	-	-	-
	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6	-	-	-
	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2020 की धारा 67-ख	-	-	-
	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v)।	जीवन	5,000/-	तीन महीने सश्रम कारावास
अपीलकर्ता	भारतीय दंड संहिता का	जीवन (अपने	25,000/-	-

सं. 3 (सुजीत कुमार)	376 घक	शेष प्राकृतिक जीवन के लिए)		
	भारतीय दंड संहिता की 354-क, 354-ख और 506	-	-	-
	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6	-	-	-
	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2020 की धारा 67-ख	-	-	-
	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v)।	जीवन	5,000/-	तीन महीने सश्रम कारावास

सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

3. हमने तीनों मामलों में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर, राज्य की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक सुश्री शशि बाला शर्मा और सूचक/पीड़िता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री अलका शर्मा को सुना है।

4. कानून के जनादेश को ध्यान में रखते हुए, दोनों पीड़ितों के नाम और

पहचान का खुलासा नहीं किया जा रहा है और उन्हें वर्तमान निर्णय और आदेश में 'पी-1' और 'पी-2' के रूप में वर्णित किया जा रहा है।

5. पी-1 और पी-2 सगी बहनें हैं। सूचक (पी-1, अभि.सा. 2) दिनांक 21.06.2019 को महिला थाना, सीतामढ़ी के प्रभारी अधिकारी को संबोधित एक लिखित रिपोर्ट में, 19.06.2019 को घटित हुई घटना के संबंध, में संबंधित सीतामढ़ी महिला थाना कांड सं. 27/2019 को 21.06.2019 को दर्ज करने का आधार है। प्राथमिकी मूल रूप से भा.द.स. की धारा 376-घ और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और 8 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया था। इसके बाद, भा.द.स. की धारा 376-घक, 376-घख, 354-ख, 354-ग, 354-घ और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) की धारा 3(2)(v) को विचारण न्यायालय के आदेशों के तहत जोड़ा गया था। इसके बाद, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2020 (संक्षेप में 'आई.टी. अधिनियम') की धारा 67, 67-क, 67-ख और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 को भी विचारण न्यायालय के एक अन्य आदेश के तहत जोड़ा गया। सूचक पी-1 ने अपनी लिखित रिपोर्ट में कहा है कि उसकी आयु लगभग 16 वर्ष थी और वह अनुसूचित जाति से थी। 19.06.2019 को, 8:30 बजे शाम में, वह और उसकी छोटी बहन (पी-2, अभि.सा.-8), लगभग 14 साल की, अपने घर के दरवाजे के पास टहल रही थी। इस बीच, एक सुनैना देवी (जिसकी जांच नहीं कराई गई) आई और दोनों बहनों को टहलने के लिए कहा। इसके बाद उक्त तीन व्यक्ति उत्तर दिशा में पैदल चलने के लिए आगे बढ़े। लगभग आधा किलोमीटर की यात्रा के बाद, उन्होंने टॉर्च की रोशनी में आठ लड़कों को देखा। कहा जाता है कि सूचक ने सुनैना देवी से पूछा कि वह उन्हें वहां क्यों लाई थी, जिसके बाद सुनैना देवी भागने लगी। इस बीच, सभी आठ लड़कों ने आकर सूचक और उसकी छोटी बहन को पकड़ लिया। पी-2 की ओर बंदूक दिखाते हुए, उन्होंने दोनों बहनों को किसी जगह पर घसीटा और उनके साथ 'दुर्यवहार' किया। उसने अपनी लिखित रिपोर्ट में इन

सात अपीलकर्ताओं सहित सात व्यक्तियों के नामों का खुलासा किया, जो सभी पी-1 और पी-2 के सह-ग्रामीण थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि लड़कों में से एक ने इस घटना का वीडियो बनाया था।

6. पी-1 और पी-2 के बयान दं.प्र.स. की धारा 164 के तहत विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा 22.06.2019 को दर्ज किया गया था। पी-1 ने दं.प्र.स. की धारा 164 के तहत अपने बयान में दोहराया कि उक्त सात लोग उसे और उसकी छोटी बहन (पी-2) को मुँह बंद करने के बाद एक बगीचे में ले गए थे। कमलेश, अनिल, सुजीत और नागेंद्र ने एक-एक करके उसके साथ बलात्कार किया, जबकि राजू कुमार उर्फ डाकमा उर्फ डाकमा कुमार उर्फ शत्रुघ्न, परशुराम और गोविंदा ने उसकी छोटी बहन (पी-2) के साथ एक-एक करके बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद वे फरार हो गए। उसने आगे कहा कि अपीलकर्ता राजू उर्फ डाकमा ने उसकी बहन (पी-2) की ओर पिस्तौल दिखाया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पी-2 ने दं.प्र.स. की धारा 164 के तहत अपने बयान में कहा कि जब वह और पी-1 8:30 बजे शाम में एक तालाब के पास चल रहे थे, सभी सात आरोपी व्यक्ति आए और उनके मुँह बंद करने के बाद वे दोनों को एक बगीचे में एक दूर की जगह पर ले गए। गोविंदा, डाकमा और परशुराम ने एक-एक करके उसके साथ बलात्कार किया, जबकि कमलेश, अनिल, नागेंद्र और सुजीत ने पी-2 का बलात्कार किया। परशुराम ने उसका मुँह बंद कर लिया था।

7. इस मोड़ पर, हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि सूचक की लिखित रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता में से कोई भी नहीं और न ही सुनैना देवी टॉर्च ले जा रही थी। दं.प्र.स. की धारा 164 के तहत दर्ज पी-1 और पी-2 के बयानों में टॉर्च की सहायता से अपीलकर्ताओं की पहचान का कोई संदर्भ नहीं है। बल्कि यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि आरोपी व्यक्ति टॉर्च ले जा रहे थे। दूसरे, जबकि लिखित रिपोर्ट में पी-1

ने सुनैना देवी का उल्लेख उन व्यक्तियों के रूप में किया था जिनके साथ वह रात में टहलने गई थी, दं.प्र.स. की धारा 164 के तहत दर्ज उनके बयानों में उस स्थान पर उसकी उपस्थिति का कोई संदर्भ नहीं है जहां से पी-1 और पी-2 का अपहरण किया गया था।

8. यह आगे पता चलता है कि पी-1 और पी-2 को दोपहर में सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में 21.06.2019 को एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा जांच किया गया था। चिकित्सा बोर्ड ने पीड़ितों की आयु 16 से 18 वर्ष के बीच बताई। पीड़ितों में से किसी के भी शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई और न ही किसी संघर्ष के संकेत पाए गए। बोर्ड ने आगे कहा कि यह कहना मुश्किल है कि बलात्कार हुआ था या नहीं और वे नियमित यौन संबंध के आदी थे।

9. पुलिस की जाँच पूरी होने पर, इन अपीलकर्ताओं सहित सभी सात आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया जो भा.द.स.की धारा 376-घक, 376-घख, 354-ख, 354-ग, 354-घ और 506 सहपठित धारा 34, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और 8, आई.टी. अधिनियम की धारा 67, 67-क, 67-ख और अनु. जाती/अनु. जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v-क) के तहत दंडनीय अपराध हैं। आरोप पत्र से यह पता चलता है कि पुलिस के अनुसार, सुनैना देवी के खिलाफ भी आरोप पत्र जमा करने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई थी। हालाँकि, इन अपीलकर्ताओं सहित पहले से ही हिरासत में सात व्यक्तियों के खिलाफ 30.08.2019 को आरोप पत्र दायर किया गया था। पुलिस द्वारा विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), सीतामढ़ी के समक्ष प्रस्तुत आरोप-पत्र के आधार पर, भा.द.स. की धारा 566, 376-घक, 354-क, अनु. जाती/अनु. जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v), पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और आई.टी. अधिनियम की धारा 67-ख के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया था। इसके बाद, इन अपीलकर्ताओं के खिलाफ भा.द.स. की धारा 506, 354-क, 354-ख,

376-घक, अनु. जाती/अनु. जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v), पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और आई.टी. अधिनियम की धारा 67-ख के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए।

10. चूंकि अभियुक्त व्यक्तियों ने आरोप से इनकार किया और मुकदमा चलाने का दावा किया, इसलिए उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में पीड़ितों के पिता (अभि.सा.-2), मनोज राम (अभि.सा.-3), डॉक्टर, जो चिकित्सा बोर्ड के सदस्य थे (अभि.सा.-4 और अभि.सा.-5), जांच अधिकारी (अभि.सा.-6), दूसरे जांच अधिकारी (अभि.सा. 7), पी-2 (अभि.सा.-8), जितेंद्र पासवान (अभि.सा.-9) और रवींद्र पासवान (अभि.सा.-10) सहित कुल 11 गवाहों से पूछताछ की गई, जिन्होंने माध्यमिक विद्यालय इंदरवा-॥ के प्रवेश पंजिका की जब्त-सूची में अपने हस्ताक्षर साबित किये थे। देवेंद्र राम (अभि.सा.-11) ने अपीलकर्ता कमलेश द्वारा तैयार अश्लील वीडियो और तस्वीरों की जब्त-सूची को साबित किया, जिसे अपीलकर्ता कमलेश ने मनोज राम (अभि.सा.-3) के मोबाइल फोन पर भेजा था। उसने पी-2 और पी-1 के कपड़ों की जब्ती से संबंधित उत्पादन-सह-जब्ती-सूची पर भी अपने हस्ताक्षर साबित किया था।

11. अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को बंद होने के बाद, विचारण न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों से दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार पूछताछ की। हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने प्रश्नों का नकारात्मक उत्तर दिया और दावा किया कि वे निर्दोष थे।

12. विचारण न्यायालय, मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष भा.द.स. की धारा 506, 354-क, 354-ख, 378-घक, अनु. जाती/अनु. जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v), पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और आई.टी. अधिनियम की धारा 67-ख के तहत दंडनीय अपराध करने के

लिए सभी सात अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ सभी उचित संदेहों से परे अपने मामले को साबित करने में सक्षम था। दोषसिद्धि का निष्कर्ष दर्ज करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भा.द.स. की धारा 376-घक के तहत आरोप के लिए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई और पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, विचारण न्यायालय ने भा.द.स., पॉक्सो अधिनियम और आई.टी. अधिनियम की धारा 67-ख के अन्य अपराधों के लिए कोई अलग से सजा नहीं दी है। हालाँकि, अनु. जाती/अनु. जनजाति अधिनियम की धारा 3(2) (v) के तहत दंडनीय अपराध के लिए, विचारण न्यायालय द्वारा जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की अलग से सजा सुनाई गई है। विचारण न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 33(8) के तहत पीड़ितों को मुआवजा भी दिया है।

13. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर ने दलील दी है कि अभियोजन पक्ष मुकदमे में यह साबित करने में विफल रहा है कि पीड़िता पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 'बच्चे' की परिभाषा में आते हैं क्योंकि पीड़ितों के अल्पवयस्कता के समर्थन में मुकदमे में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया था। उन्होंने तर्क दिया है कि चूंकि अभियोजन पक्ष मुकदमे में यह साबित करने में विफल रहा है कि पीड़िता 'बच्चे' की परिभाषा के भीतर आते हैं, इसलिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए इन अपीलकर्ताओं की सजा टिकाऊ नहीं है।

14. उन्होंने आगे तर्क दिया है कि सूचक द्वारा अभियोजन पक्ष के मामले का वर्णन दं.प्र.स. की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़ितों के बयान से काफी अलग है। उनके अनुसार, अभियोजन पक्ष का मामला बेहद असंभव प्रतीत होता है क्योंकि पीड़ितों के लिए टॉर्च की रोशनी की मदद से आरोपियों को पहचानना असंभव था, जो कि आरोपी व्यक्तियों के पास थी। अभियोजन पक्ष द्वारा पहचान के किसी अन्य स्रोत का खुलासा नहीं किया

गया है। उन्होंने दलील दी है कि दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रखे गए प्रश्न से यह स्पष्ट है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा टॉर्च की रोशनी विपरीत दिशा से दिखाई गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, पीड़ितों का यह साक्ष्य कि वे उक्त टॉर्च की रोशनी में सभी अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं, विश्वसनीय नहीं है और इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि पीड़िता विश्वसनीय नहीं लगते हैं और उन्हें उत्कृष्ट चरित्र का गवाह नहीं माना जा सकता है। उस पृष्ठभूमि में, चूंकि चिकित्सा साक्ष्य उनके साक्ष्य/आरोप का समर्थन नहीं करता है, इसलिए भा.द.स. की धारा 376-घक के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज अपीलकर्ताओं के अपराध का निष्कर्ष पूरी तरह से अनुचित है। आई.टी. अधिनियम की धारा 67-ख के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के निष्कर्ष पर आपत्ति जताते हुए, उन्होंने दलील दी है कि पीड़ितों के चाचा, अभि.सा.-3 ने ही जांच अभिकरण के समक्ष एक वीडियो और तस्वीर पेश की थी और मुकदमे में गवाही दी थी कि वीडियो की छायाप्रति पुलिस ने उसके मोबाइल फोन से ली थी। उसके बयान के विपरीत, जांच अधिकारी ने अपनी गवाही में यह गवाही दी कि तस्वीरों की छायाप्रति और वीडियो की सी.डी. मनोज राम द्वारा पेश की गई थी। अभि.सा. 11, देवेंद्र राम ने अपनी गवाही में यह गवाही दी कि वीडियो मनोज राम (अभि.सा.-3) द्वारा पुलिस के सामने पेश किए जाने से पहले तैयार किया गया था। उनका तर्क है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-ख के तहत निर्धारित आवश्यक सबूत के अभाव में ऐसी तस्वीरें सबूत के रूप में नहीं ले सकती हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि पीड़ितों के करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी भी गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। उनका तर्क है कि जिस भूमि पर कथित रूप से बलात्कार की घटना हुई थी, उसके भू-स्वामी से न तो पुलिस ने जांच के दौरान पूछताछ की और न ही मुकदमे में पूछताछ की गई।

तदनुसार, वे तर्क देते हैं कि चूंकि अभियोजन पक्ष भा.द.स., पॉक्सो अधिनियम और आई.टी. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों को स्थापित करने में विफल रहा है, इसलिए अनु. जाती/अनु. जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत दंडनीय अपराध के लिए इन अपीलकर्ताओं की सजा बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है।

15. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने प्रदर्श के माध्यम से उस विद्यालय के पीड़ितों के प्रवेश पंजिका को अभिलेख में लाया है, जहां उन्होंने पहली बार पढ़ाई की थी, जिससे पता चलता है कि पीड़िता पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(घ) के तहत 'बच्चे' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने दलील दी है कि विद्यालय के प्रवेश पंजिका में देखा गया अधिलेखन, जहां पीड़ितों ने पहली बार अध्ययन किया था, यह दर्शाता है कि मूल प्रविष्टियों के अनुसार, पीड़िता 'बच्चे' की परिभाषा के तहत आते हैं, लेकिन अधिलेखन द्वारा, उनके जन्म के वर्षों को बदल दिया गया है। उसने दलील दी है कि पी-1 की आयु का आकलन दं.प्र.स. की धारा 164 के तहत उसके बयान दर्ज करने की तारीख को 16 वर्ष और पी-2 की आयु उक्त दिन 15 वर्ष के रूप में की गई थी। वह तदनुसार तर्क देती है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि पीड़िता पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत 'बच्चे' की परिभाषा के दायरे में आते हैं। उसने दलील दी है कि इस बात के सबूत हैं कि बलात्कार का अश्लील वीडियो अपीलकर्ता कमलेश कुमार द्वारा अपलोड किया गया था, जिसे उसने अभि.सा.-3 के मोबाइल फोन के व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था। वह तर्क देती है कि पूरे तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विचारण न्यायालय ने मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्य के सही विश्लेषण के आधार पर विभिन्न अपराधों के अपीलकर्ताओं को सही तरीके से दोषी ठहराया है।

16. सूचक की ओर से पेश अधिवक्ता सुश्री अलका वर्मा ने जोरदार तर्क दिया

कि इन अपीलकर्ताओं द्वारा बलात्कार के संबंध में पीड़ितों के प्राथमिक साक्ष्य ने अभियोजन पक्ष के सामूहिक बलात्कार के मामले को इस आधार पर कमजोर नहीं किया है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुकदमे में साबित नहीं किये जा सकते। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने *अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल* मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है, जो (2020) 7 एस.सी.सी. 1 में रिपोर्ट किया गया है।

17. हमने विचारण न्यायालय के आक्षेपित फैसले और आदेश का अध्ययन किया है और हमने पक्षों की ओर से की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पहला विवादास्पद प्रश्न, जिस पर इस न्यायालय को विचार करने की आवश्यकता है, यह है कि क्या अभियोजन पक्ष मुकदमे में निर्णायक रूप से यह साबित करने में सक्षम था कि पीड़िता पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(घ) के भीतर 'बच्चे' की परिभाषा के भीतर आते हैं। अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में कि पी-1 और पी-2 'बच्चे' की परिभाषा के भीतर आते हैं, अप्रैल 2011 से 03.07.2019 (पृष्ठ 1-168) तक विद्यालय प्रवेश पंजिका की जब्ती के संबंध में एक जब्त-सूची (प्रदर्श- 8) हैं। प्रवेश पंजिका के एक पृष्ठ पर क्रम सं. 31 और 32 की प्रविष्टियों की एक छायाप्रति क्रमशः प्रदर्श-9 और 9/1 के रूप में अंकित की गई थी, जिसमें दोनों पीड़ितों के जन्म वर्ष के संबंध में अधिलेखन और कटाई हैं। प्रवेश पंजिका के उक्त पृष्ठ की छायाप्रति प्रति के अनुसार, दोनों पीड़ितों का विद्यालय में 06.04.2011 को प्रवेश हुआ था। दोनों पीड़ितों के नामों के आगे, एक समय जन्म वर्ष 2006 अंकित था, जिसे बाद में पी-1 के मामले में 2002 में सुधारा गया। जन्मतिथि में संशोधन के सामने किसी ने आयाक्षर लिखे हैं। पीड़ितों को अप्रैल, 2011 में कक्षा 1 में प्रवेश दिया गया था। प्रवेश पंजिका की संबंधित पत्र की छायाप्रति प्रति में एक टिप्पणी स्तंभ है जिसमें पीड़ितों के नामों के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियाँ हैं:-

‘अभिभावक तीन बार में बच्चे के उमर को लिखवाये’

(अभिभावक ने तीन प्रयास में छात्रों की जन्म तिथि दर्ज कराई थी)।”

18. अभियोजन पक्ष ने जितेंद्र पासवान (अभि.सा.-9) और रवींद्र पासवान (अभि.सा.-10) से पूछताछ की ताकि यह साबित हो सके कि प्रवेश पंजिका की जब्त-सूची पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पीड़ितों की जन्मतिथि में बदलाव करते समय उनके हस्ताक्षर किसने किए थे।

19. हम इस मोड़ पर (2013) 7 एस.सी.सी. 263 में रिपोर्ट किए गए **जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर ध्यान देना वांछनीय मानते हैं, जहां सर्वोच्च न्यायालय को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से बलात्कार के पीड़िता की आयु निर्धारित करने की प्रक्रिया पर विचार करने का अवसर मिला था। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल कव संरक्षण) नियम, 2007 (संक्षेप में '2007 के नियम') के नियम 12 पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल कव संरक्षण) अधिनियम, 2007 (संक्षेप में '2007 का अधिनियम') के प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियम 12 के अनुसार, उपरोक्त प्रावधान, अपराध के शिकार बच्चे की भी आयु निर्धारण का आधार होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि जहाँ तक अल्पवयस्कता होने के मुद्दे का प्रश्न है, विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे और अपराध के शिकार बच्चे के बीच लगभग कोई अंतर नहीं है। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 22 और 23, प्रासंगिक होने के कारण, नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

“22. नाबालिग की आयु के निर्धारण के मुद्दे पर, केवल किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (इसके बाद "2007 नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 12

का संदर्भ देने की आवश्यकता है। उपर्युक्त 2007 नियम किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 68(1) के अंतर्गत बनाए गए हैं। ऊपर उल्लिखित नियम 12 इस प्रकार है:

12. आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया—(1)

विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, न्यायालय या बोर्ड या जैसा भी मामला हो, इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति उस उद्देश्य के लिए आवेदन करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे किशोर या बच्चे या किशोर की उम्र निर्धारित करेगी।

(2) न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति किशोर या बच्चे या, जैसा भी मामला हो, कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की किशोरता या अन्यथाता का निर्णय, प्रथम दृष्टया उसकी शारीरिक बनावट या दस्तावेजों, यदि उपलब्ध हो, के आधार पर करेगी और उसे संप्रेक्षण गृह या जेल भेज देगी।

(3) कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, आयु निर्धारण की जाँच न्यायालय या बोर्ड द्वारा की जाएगी या, जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करके की जाएगी-

(क)(i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो;

और उसके अभाव में;

(ii) उस विद्यालय (खेल विद्यालय को छोड़कर) से जन्म तिथि प्रमाण पत्र जिसमें आपने पहली बार शिक्षा प्राप्त की हो; और उसके अभाव में;

(iii) किसी निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(ख) और केवल उपर्युक्त खंड (क) के (i), (ii) या (iii) के अभाव में, चिकित्सीय राय एक विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से मांगी जाएगी, जो किशोर या बच्चे की आयु घोषित करेगा। यदि आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यदि आवश्यक समझे, तो बच्चे या किशोर को उसकी आयु को एक वर्ष की सीमा के भीतर कम मानकर लाभ दे सकती है,

और ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, उपलब्ध साक्ष्य या चिकित्सा राय, जैसी भी स्थिति हो, पर विचार करने के बाद, उसकी आयु के संबंध में निष्कर्ष दर्ज करेगी और खंड (क)(i), (ii), (iii) में से किसी में निर्दिष्ट साक्ष्य या उसके अभाव में, खंड (ख) ऐसे बच्चे या किशोर के संबंध में आयु का निर्णायक प्रमाण होगा जो कानून का उल्लंघन करता है।

(4) यदि किसी किशोर या बच्चे या विधि का उल्लंघन

करने वाले किशोर की आयु अपराध की तिथि को 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो उप-नियम (3) में निर्दिष्ट किसी भी निर्णायक प्रमाण के आधार पर, न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए आयु बताते हुए और किशोर होने की स्थिति घोषित करते हुए लिखित रूप में आदेश या अन्यथा पारित करेगी, और आदेश की एक प्रति ऐसे किशोर या संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

(5) सिवाय इसके कि जहाँ आगे की जाँच या अन्यथा आवश्यक हो, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 7-क, धारा 64 और इन नियमों के अनुसार, न्यायालय या बोर्ड द्वारा इस नियम के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेजी प्रमाण की जाँच और प्राप्ति के बाद कोई और जाँच नहीं की जाएगी।

(6) इस नियम में निहित प्रावधान उन निपटाए गए मामलों पर भी लागू होंगे, जहाँ किशोर की स्थिति उप-नियम (3) और अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित नहीं की गई है, जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के हित में उचित आदेश पारित करने के लिए अधिनियम के तहत सजा से छूट की आवश्यकता होती है।”

23. यद्यपि नियम 12 केवल कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की आयु निर्धारित करने के लिए ही सख्ती से लागू

होता है, हमारा विचार है कि उपर्युक्त वैधानिक प्रावधान उस बच्चे की भी जो अपराध का शिकार है का आयु निर्धारित करने का आधार होना चाहिए। क्योंकि, हमारे विचार में, जहाँ तक अल्पवयस्कता होने का प्रश्न है, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे और अपराध का शिकार बच्चे के बीच शायद ही कोई अंतर है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, अभियोजन पक्ष की आयु निर्धारित करने के लिए 2007 के नियमों के नियम 12 को लागू करना न्यायसंगत और उपयुक्त होगा। अभियोक्ता पी.सा., अभि.सा. 6 की आयु निर्धारित करने के लिए आयु का निर्णायक निर्धारण करने का तरीका ऊपर उद्धृत नियम 12 के उप-नियम (3) में व्यक्त किया गया है। उपर्युक्त प्रावधान के तहत, नियम 12(3) में निर्धारित कई विकल्पों में से पहले उपलब्ध आधार को अपनाकर बच्चे की आयु का पता लगाया जाता है। यदि नियम 12(3) के अंतर्गत विकल्पों की योजना में, कोई विकल्प पूर्ववर्ती खंड में व्यक्त किया गया है, तो उसका प्रभाव उत्तरवर्ती खंड में व्यक्त विकल्प पर अधिभावी होता है। उपलब्ध उच्चतम मूल्यांकित वाला विकल्प निर्णायक रूप से नाबालिग की आयु निर्धारित करेगा। नियम 12(3) की योजना में, संबंधित बच्चे का मैट्रिकुलेशन (या समकक्ष) प्रमाणपत्र सर्वोच्च मूल्यांकन वाला विकल्प है। यदि उक्त प्रमाणपत्र उपलब्ध है, तो किसी अन्य साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। केवल उक्त प्रमाणपत्र के अभाव में, नियम 12(3) उस विद्यालय में दर्ज जन्मतिथि पर विचार करने की परिकल्पना

करता है जहाँ बच्चे ने पहली बार शिक्षा प्राप्त की थी। यदि जन्मतिथि की ऐसी प्रविष्टि उपलब्ध है, तो उसमें दर्शाई गई जन्मतिथि को अंतिम और निर्णायक माना जाएगा और किसी अन्य सामग्री पर भरोसा नहीं किया जाएगा। केवल ऐसी प्रविष्टि के अभाव में ही, नियम 12(3) किसी निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर निर्भर करता है। फिर भी, यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो संबंधित बच्चे की आयु निर्धारित करने के लिए किसी अन्य सामग्री पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र ही बच्चे की आयु का निर्णायक निर्धारण करेगा। उपरोक्त में से किसी भी तथ्य के अभाव में ही, नियम 12(3) संबंधित बच्चे की आयु का निर्धारण चिकित्सा राय के आधार पर करने की बात करता है।

20. यह ध्यान देने योग्य है कि 2007 के अधिनियम को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में '2015 का अधिनियम') की धारा 94 की उप-धारा (2) द्वारा दोहराया गया है, जो विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की आयु निर्धारित करने का प्रावधान करता है। 2015 के अधिनियम की धारा 94 (2) के तहत अब निर्धारित आयु निर्धारण प्रक्रिया मूलतः वही है जो 2007 के नियमों के तहत निर्धारित थी, जो इस प्रकार है:

"94. आयु की उपधारणा और निर्धारण-(1) जहाँ समिति या बोर्ड को इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की उपस्थिति के आधार पर (साक्ष्य देने

के प्रयोजन के अलावा) यह स्पष्ट हो कि उक्त व्यक्ति बच्चा है, समिति या बोर्ड बच्चा की यथासंभव निकटतम आयु बताते हुए ऐसा अवलोकन दर्ज करेगा और आयु की आगे पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना, धारा 14 या धारा 36, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत जाँच शुरू करेगा।

(2) यदि समिति या बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के उचित आधार हैं कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा, इसके लिए साक्ष्य प्राप्त करेगा-

(i) स्कूल से जन्म तिथि प्रमाण पत्र, या मेट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा बोर्ड से, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;

(ii) किसी निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(iii) और केवल उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का निर्धारण अस्थिकरण परीक्षण द्वारा किया जाएगा या समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा:

बशर्ते समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित ऐसा आयु निर्धारण परीक्षण ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु के रूप में दर्ज की गई आयु, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी।”

21. निर्विवाद रूप से, 2015 के अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, **जरनैल सिंह** (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क के आलोक में अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है कि पी-1 और पी-2 की आयु घटना की तिथि को 18 वर्ष से कम थी। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, चिकित्सा बोर्ड ने विकिरण-चिकित्सात्मक किरण परीक्षा के आधार पर पीड़ितों की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच की राय दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने (2018) 9 एस.सी.सी. 248 में रिपोर्ट किए गए **रजक मोहम्मद बनाम हिम. प्र. राज्य** के मामले में कहा है कि विकिरण-चिकित्सात्मक किरण परीक्षा के आधार पर निर्धारित आयु एक सटीक निर्धारण नहीं हो सकती है और किसी भी तरह से पर्याप्त अंतर की अनुमति दी जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, **रजक मोहम्मद** (उपरोक्त) के मामले में राय दी कि विकिरण-चिकित्सात्मक किरण परीक्षा की रिपोर्ट ने अभियोजन की सही उम्र के संबंध में पर्याप्त संदेह के लिए जगह छोड़ी है।

22. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने विद्यालय से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास करने के बजाय प्रवेश पंजिका पर भरोसा किया। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने मुकदमे में, विद्यालय के शिक्षकों (अभि.सा.-9 और अभि.सा.-10) से पूछताछ की, जिन्होंने केवल प्रवेश पंजिका की जब्ती को साबित किया। अभि.सा.-9 के बयान के अनुसार, पुलिस अधिकारी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रवेश पंजिका प्राप्त

किया था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का परीक्षण नहीं किया गया था। इसके अलावा, प्रवेश पंजिका की सामग्री सिद्ध नहीं हुई थी, जैसा कि अभि.सा.-9 और अभि.सा.-10 के बयानों से स्पष्ट है। अभि.सा.-10 ने अपने बयान में यहाँ तक कहा कि उसे केवल हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था और उसे अब तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

23. हमारी सुविचारित राय में, उपरोक्त परिस्थितियों में, जन्म तिथि के आधार पर, जैसा कि प्रवेश पंजिका में उल्लेख किया गया है, यह निर्णायक रूप से नहीं माना जा सकता है कि पीड़िता घटना की तारीख को 18 वर्ष से कम उम्र के थे और इसलिए, पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(घ) के तहत 'बच्चे' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

24. पीड़ितों की उम्र के संबंध में अब चिकित्सा साक्ष्य पर आते हुए; चिकित्सा बोर्ड ने राय दी कि पीड़ितों की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच हो सकती है। हमारे सुविचारित विचार में, अभियोजन पक्ष इस प्रकार मुकदमे में निर्णायक रूप से यह साबित करने में विफल रहा कि पीड़ितों की आयु घटना की तारीख को 18 वर्ष से कम थी। पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस साक्ष्य के साथ इस तथ्य को साबित करना अनिवार्य है कि पीड़ितों की आयु 18 वर्ष से कम थी। इसलिए, हमारा विचार है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

25. अब हम आई.टी. अधिनियम की धारा 67-ख के तहत दंडनीय अपराध करने के अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पर विचार करें, आई.टी. अधिनियम की धारा 67-ख इस प्रकार है:-

67-ख. इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को यौन स्पष्ट कार्य आदि में चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए दंड— जो भी,-

(क) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित या प्रसारित करने का कारण बनता है जो यौन स्पष्ट कार्य या आचरण में लगे बच्चों को दर्शाता है; या

(ख) अश्लील या अभद्र या यौन स्पष्ट तरीके से बच्चों को दर्शाने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेख या डिजिटल चित्र बनाता है, एकत्र करता है, खोजता है, ब्राउज़ करता है, डाउनलोड करता है, विज्ञापन करता है, बढ़ावा देता है, आदान-प्रदान करता है या सामग्री वितरित करता है; या

(ग) बच्चों को एक या अधिक बच्चों के साथ यौन स्पष्ट कार्य के लिए या इस तरह से ऑनलाइन संबंध बनाने के लिए उकसाता है या प्रेरित करता है जो कंप्यूटर संसाधन पर एक उचित वयस्क को अपमानित कर सकता है; या

(घ) बच्चों को ऑनलाइन दुर्यवहार की सुविधा प्रदान करता है; या

(ङ) बच्चों के साथ यौन स्पष्ट कृत्य से संबंधित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने या अन्य लोगों के दुर्यवहार को अभिलेख करता है।

प्रथम दोषसिद्धि पर किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच वर्ष तक की अवधि के लिए हो सकता है और जुर्माने से जो दस लाख रुपये तक हो सकता है और दूसरे या बाद के दोषसिद्धि की स्थिति में किसी भी प्रकार

के कारावास से जो सात वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से भी जो दस लाख रुपये तक हो सकता है:

बशर्ते कि धारा 67, धारा 67-क और इस धारा के प्रावधान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुस्तक, पर्चा, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग प्रतिनिधित्व या आकृति तक प्रदर्श ना हो-

(i) जिसका प्रकाशन इस आधार पर सार्वजनिक भलाई के लिए होना उचित साबित होता है कि ऐसी पुस्तक, पर्चा, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग प्रतिनिधित्व या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा या सामान्य चिन्ता के अन्य उद्देश्यों के हित में है; या

(ii) जिसे प्रामाणिक विरासत या धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखा या उपयोग किया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "बच्चे" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।"

26. आई.टी. अधिनियम की धारा 67-ख के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप इस आरोप पर आधारित है कि बलात्कार की घटना का वीडियो बनाने के बाद उसे वायरल कर दिया गया था और आरोपी कमलेश द्वारा वीडियो को वॉट्सऐप के माध्यम से अभि.सा.-3 को भेजा गया था। अपने बयान के अनुच्छेद 8 में, अभि.सा.-3 ने गवाही दी कि उसने अपना मोबाइल फोन थाने में पुलिस को दिया था और पुलिस ने उसके मोबाइल

फोन से वीडियो और तस्वीर का छायाप्रति ले लिया था। हमें मुकदमे में कोई स्वीकार्य सबूत नहीं मिला है कि अभि.सा.-3 को अपीलकर्ता कमलेश के मोबाइल फोन से कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्राप्त हुआ था। अभि.सा.-3 का मोबाइल फोन जब्त नहीं किया गया था और न ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-ख की आवश्यकता के अनुसार मुकदमे में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की सामग्री साबित की गई थी। अभियोजन पक्ष ने उन छायाप्रति पर भरोसा किया है जो कथित तौर पर पुलिस ने अभि.सा.-3 के मोबाइल फोन से निकाले थे। इस समय अभि.सा.-11 के साक्ष्य पर ध्यान देना उचित होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अभि.सा.-3 के साथ वीडियो और तस्वीरों की छायाप्रति प्रतियां सौंपने के लिए थाना गया था। अपने साक्ष्य में, अभि.सा.-11 ने गवाही दी कि अभि.सा.-3 एक तैयार वीडियो लेकर आया था।

27. अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर, (2014) 10 एस.सी.सी. 473 में रिपोर्ट किये गए मामले में, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि केवल तभी जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-ख के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख विधिवत प्रस्तुत किया जाता है, तभी उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न उठेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि साक्ष्य अधिनियम, मौखिक साक्ष्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रमाण की अनुमति नहीं देता है या इसकी परिकल्पना नहीं करता है, यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-ख के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जाता है।

28. वर्तमान मामले में, अभि.सा.-3 का मोबाइल फोन, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, छायाप्रति लिया गया था, जब्त नहीं किया गया था और न ही मुकदमे में पेश किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जिस छायाप्रति का वीडियो/छायाप्रति अभि.सा.-3 के मोबाइल फोन से लिया गया था, वह अपीलकर्ता कमलेश द्वारा भेजा गया था। यहाँ यह उल्लेख करना

समीचीन होगा कि **अनवर पी.वी.** (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल** (उपरोक्त) मामले में अनुच्छेद 73.2 में किया है, जो इस प्रकार है:

“73.2. उपर्युक्त स्पष्टीकरण यह है कि यदि मूल दस्तावेज स्वयं प्रस्तुत किया जाता है, तो धारा 65-ख(4) के अंतर्गत आवश्यक प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। यह लैपटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर टैबलेट या मोबाइल फोन के स्वामी द्वारा भी किया जा सकता है, गवाही कटघरे में आकर और यह साबित करके कि संबंधित उपकरण, जिस पर मूल जानकारी सबसे पहले संग्रहित की गई थी, उसका स्वामित्व और/या संचालन उसके द्वारा किया जाता है। ऐसे मामलों में जहाँ “कंप्यूटर”, किसी “कंप्यूटर सिस्टम” या “कंप्यूटर नेटवर्क” का एक हिस्सा होता है और ऐसे सिस्टम या नेटवर्क को न्यायालय में भौतिक रूप से लाना असंभव हो जाता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में निहित जानकारी प्रदान करने का एकमात्र साधन धारा 65-ख(1) के अनुसार, धारा 65-ख(4) के अंतर्गत अपेक्षित प्रमाणपत्र के साथ हो सकता है। अनवर पी.वी. [अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर, (2014) 10 एस.सी.सी. 473 : (2015) 1 एस.सी.सी. (दीवानी) 27 : (2015) 1 एस.सी.सी. (आप.) 24 : (2015) 1 एस.सी.सी. (एल और एस) 108] के अनु. 24 का अंतिम वाक्य, जो इस प्रकार है, “... यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है...”

इस प्रकार स्पष्ट किया गया है; इसे "साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत..." शब्दों के बिना पढ़ा जाना है। इस स्पष्टीकरण के साथ, अनवर पी.वी. [अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर, (2014) 10 एस.सी.सी. 473 : (2015) 1 एस.सी.सी. (दीवानी) 27 : (2015) 1 एस.सी.सी. (आप.) 24 : (2015) 1 एस.सी.सी. (कल कंड एस) 108] पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है।"

29. हमें अभियोजन पक्ष की ओर से अभि.सा.-3 का मूल मोबाइल फोन पेश करने में विफलता का कोई औचित्य नहीं दिखता और यह तथ्य साबित करने में भी कि अपीलकर्ता कमलेश द्वारा कोई संदेश इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (इस मामले में व्हाट्सएप) के माध्यम से भेजा गया था।

30. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हमारा विचार है कि आई.टी. अधिनियम की धारा 67-ख के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

31. इसके बाद, अपीलकर्ताओं को विचारण न्यायालय द्वारा भा.द.स. की धारा 376-घक के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया; क्योंकि हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को निर्णायक रूप से साबित करने में विफल रहा कि पीड़ितों की आयु 18 वर्ष से कम थी, भा.द.स. की धारा 376-घक के तहत दंडनीय अपराधों के लिए इन अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है क्योंकि उक्त दंडात्मक प्रावधान केवल तभी आकर्षित होता है जब अभियोजन पक्ष 16 वर्ष से कम उम्र की महिला पर सामूहिक बलात्कार साबित करता है। यह ध्यान दिया जाए कि वर्तमान मामले में आरोप भा.द.स. की धारा 376 सहित विभिन्न धाराओं

के तहत बनाए गए थे। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को धारा 376-घक के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया है, जिसमें उन्हें 16 साल से कम उम्र का माना गया है।

32. अगला प्रश्न, जो इस न्यायालय द्वारा, दं.प्र.स. की धारा 386 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विचार के लिए आता है, वह यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, अधिनियम की धारा 376-घ के तहत दंडनीय, पीड़ितों पर सामूहिक बलात्कार के सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सक्षम था, और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के आधार पर कौन सा पहलू निर्धारण के योग्य है।

33. जैसा कि पूर्वगामी अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, पी-1 ने अपनी लिखित रिपोर्ट में कहा था कि पीड़िता रात में 8:30 बजे टहलने गई थी जैसा कि सुनैना देवी ने जोर देकर कहा था। प्राथमिकी दर्ज होने की तारीख को सुनैना देवी को आरोपी नहीं बनाया गया था। सुनैना देवी के खिलाफ जांच को लंबित रखते हुए इन अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र 30.08.2019 को प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि आरोप पत्र (प्रदर्श-7) में ही खुलासा किया गया है। उसका नाम औपचारिक प्राथमिकी में आरोप पत्र जमा करने के बहुत बाद एक आरोपी के रूप में विचारण न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के आधार पर जोड़ा गया था। मुकदमे में पेश किए गए सबूतों से हमें सुनैना देवी के खिलाफ कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। मुकदमे में उसका सबूत किसी भी तरह से महत्वपूर्ण रहा होगा। न तो उसे गिरफ्तार किया गया और न ही गवाह के रूप में उससे पूछताछ की गई क्योंकि अभियोजन पक्ष ने आरोप पत्र जमा करने के बाद उसे आरोपी के रूप में चित्रित किया था। वर्तमान मामले में दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पहचान का स्रोत है जैसा कि सूचक द्वारा प्राथमिकी में और मुकदमे में पीड़ितों के बयानों में खुलासा किया गया है। यह कभी भी अभियोजन पक्ष का मामला नहीं रहा है कि सुनैना देवी या ये पीड़िता टॉर्च ले जा रहे

थे। बल्कि यह उनका मामला है कि अपीलकर्ताओं ने अपनी ओर से टॉर्च की रोशनी जलाई थी। अभियोजन पक्ष का यह तर्क कि पी-1 और पी-2, अभियुक्तों द्वारा चमकाए गए टॉर्च से निकलने वाली रोशनी में दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों की पहचान कर सके, असंभव प्रतीत होता है। टॉर्च से निकलने वाली रोशनी एकदिशीय होती है और वर्तमान मामले में टॉर्च की रोशनी अभियुक्तों की उपस्थिति वाले स्थान से लेकर पीड़ितों के टहलने वाले स्थान तक एक दिशा में चमकाई गई थी।

34. इसके अलावा, चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के सामूहिक बलात्कार के मामले का समर्थन नहीं करता है। अभि.सा.-4 और अभि.सा.-5, जो चिकित्सा बोर्ड के सदस्य थे, ने मुकदमे में अपने बयानों में पीड़ितों पर की गई चिकित्सा जांच की रिपोर्ट को 21.06.2019 को साबित किए थे। चिकित्सा बोर्ड को पीड़ितों के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं मिली थी। अभि.सा.-5 ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा कि पीड़ितों के निजी अंगों पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई थी और न ही पीड़ितों के शरीरों पर संघर्ष का कोई संकेत मौजूद था। उसकी प्रति-परीक्षण में, अभि.सा.-5 ने कहा कि पीड़ितों को नियमित यौन संबंध या संभोग की आदत थी और यह कहना मुश्किल था कि बलात्कार हुआ था या नहीं। प्रति-परीक्षण के दौरान अपीलकर्ताओं की ओर से पूछे गए प्रश्नों के जवाब में, अभि.सा.-4 और अभि.सा.-5 ने जवाब दिया कि सामूहिक बलात्कार के मामले में, पीड़ितों के शरीर का बाहरी और आंतरिक भाग पर संघर्ष के संकेत होने चाहिए, जो नहीं मिला था।

35. हम इस सिद्धांत से अवगत हैं कि बलात्कार के आरोप के मामले में चिकित्सा साक्ष्य द्वारा कोई पुष्टि आवश्यक नहीं है, अगर बलात्कार की पीड़िता उत्कृष्ट गुणवत्ता की सच्ची गवाह प्रतीत होती हैं। हालाँकि, न्यायालय चिकित्सा साक्ष्य को पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकता है, यदि यह पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोप और

मुकदमे में दिए गए साक्ष्य के विपरीत है।

36. जाँच अधिकारी के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि पी-1 और पी-2 के कपड़े जब्त कर लिए गए थे और जब्त-सूची क्रमशः प्रदर्श 6/1 और 6 के माध्यम से तैयार की गई थी। एक सुनहरे रंग का मोबाइल फोन और अपीलकर्ता कमलेश कुमार के कपड़े जब्त किए गए और जब्त-सूची तैयार की गई थी (प्रदर्श-6/2)। सुजीत कुमार (अपीलकर्ता), परशुराम कुमार (अपीलकर्ता), राजू कुमार उर्फ डाकमा (अपीलकर्ता), गोविंदा कुमार (अपीलकर्ता), नागेंद्र कुमार (अपीलकर्ता) और अनिल कुमार (अपीलकर्ता) के जांघिया जब्त किए गए और जब्त-सूचियों को मुकदमे में क्रमशः प्रदर्श 6/3, 6/4, 6/6, 6/7 और 6/8 के रूप में चिह्नित किया गया था। अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित भौतिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए।

“सामग्री प्रदर्श I :- मरून रंग में पीड़िता (पी-2) का जांघिया ।

सामग्री प्रदर्श I/क :- पीड़िता (पी-2) का कुर्ता लाल-नीले रंग में।

सामग्री प्रदर्श I/ख :- कॉफी रंग में पीड़िता (पी-1) का जांघिया।

सामग्री प्रदर्श I/ग :- पीड़िता (पी-1) का लाल-नीला कुर्ता ।

सामग्री प्रदर्श I/घ :- कमलेश कुमार का जांघिया।

सामग्री II:- कमलेश कुमार का सुनहरे रंग का मोबाइल।

सामग्री प्रदर्श 1/ड :- सुजीत कुमार का जांघिया।

सामग्री प्रदर्श 1/च :- परशुराम कुमार का जांघिया।

सामग्री प्रदर्श 1/छ :- राजू कुमार उर्फ डाकमा का जांघिया।

सामग्री प्रदर्श 1/ज :- गोविंदा कुमार का जांघिया।

सामग्री प्रदर्श 1/झ :- नागेंद्र कुमार का जांघिया।

सामग्री प्रदर्श 1/ञ :- अनिल कुमार का जांघिया।

सामग्री प्रदर्श 1/॥:- वीडियो सी.डी. "।

37. पीड़ितों और अभियुक्त व्यक्तियों के कपड़े, जिन्हें पुलिस ने जाँच के दौरान जब्त किया था, उसे निदेशक कार्यालय, क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर को भेज दिया गया था। रक्त विज्ञान साक्ष्य के परिणामों के साथ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को प्रदर्श 12 के रूप में चिह्नित किया गया है। हम पुलिस द्वारा एफ.एस.एल. को भेजे गए पार्सल में निहित वस्तुओं के विवरण और परीक्षण के परिणाम को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:

"इसमें क्रमशः 'क', 'ख', 'ग', 'घ', 'ड', 'च', 'छ', 'ज', 'झ' के रूप में चिह्नित नौ प्लास्टिक के डिब्बे थे।

'क' चिह्नित डिब्बे में एक जांघिया और एक कुर्ती थी जो पीड़िता (पी-1) की बताई गई थी। उसे इस प्रयोगशाला में क्रमशः '1' और '2' के रूप में चिह्नित किया गया था।

1. पुराना गंदा कॉफी रंग, जिसे 'क/1' चिह्नित भूरा

जांधिया कहा जाता है, उस पर छोटे-छोटे क्षेत्रों में लाल-भूरे धब्बे थे। उस पर धूसर रंग के धब्बे भी थे जो न तो छूने में सख्त थे और न ही पराबैंगनी प्रकाश में कोई विशिष्ट लाल-सफेद प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते थे।

2. मैरून रंग, जिसे 'क/2' चिह्नित लाल जांधिया कहा जाता है, उस पर भूरे रंग के धब्बे थे। उस पर भी धूसर रंग के धब्बे थे जो न तो छूने में सख्त थे और न ही पराबैंगनी प्रकाश में कोई विशिष्ट नीला-सफेद प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते थे।

'ख' चिह्नित डिब्बा में एक जांधिया और एक कुर्ती थी, जिसे पी-2 का कहा जाता है। उसे इस प्रयोगशाला में क्रमशः '1' और '2' के रूप में चिह्नित किया गया था।

3. पुराना मैरून रंग, जिसे 'ख/1' चिह्नित किया गया था, उस पर छोटे-छोटे क्षेत्रों में लाल-भूरे रंग के धब्बे थे। इस पर धूसर रंग के दाग भी थे जो न तो महसूस करने में सख्त थे और न ही पराबैंगनी प्रकाश में कोई विशिष्ट नीला-सफेद प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते थे।

4. 'ख/2' अंकित पुरानी लाल-नीली कुर्ती पर भूरे रंग के दाग थे। इस पर धूसर रंग के दाग भी थे जो न तो महसूस करने में सख्त थे और न ही पराबैंगनी प्रकाश में कोई विशिष्ट नीला-सफेद प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते थे।

5. 'ग' चिह्नित डिब्बा में एक पुराना गंदे भूरे रंग का

जांघिया था, जो आरोपी कमलेश कुमार का बताया जा रहा है। इस पर भूरे रंग के धब्बे थे। इस पर भूरे रंग के धब्बे भी थे, जो न तो छूने में सख्त थे और न ही पराबैंगनी प्रकाश में कोई विशिष्ट नीला-सफेद प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रहे थे।

6. 'घ' चिह्नित डिब्बा में एक कॉफी रंग का जांघिया था, जो आरोपी सुजीत कुमार का बताया जा रहा है। इस पर भूरे रंग के धब्बे थे। इस पर भूरे रंग के धब्बे भी थे, जो न तो छूने में सख्त थे और न ही पराबैंगनी प्रकाश में कोई विशिष्ट नीला-सफेद प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रहे थे।

7. 'ङ' चिह्नित डिब्बा में एक काले-भूरे रंग का जांघिया था, जो आरोपी परशु राम कुमार का बताया जा रहा है। इस पर लाल-भूरे रंग का एक बिंदु था। इस पर भूरे रंग के धब्बे भी थे, जो न तो छूने में सख्त थे और न ही पराबैंगनी प्रकाश में कोई विशिष्ट नीला-सफेद प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रहे थे।

8. 'च' अंकित डिब्बा में एक पुराना नेवी ब्लू रंग का जांघिया था, जो आरोपी राजकुमार उर्फ ठकमा का बताया जा रहा है। इस पर भूरे रंग के धब्बे थे। इस पर धूसर रंग के धब्बे भी थे, जो न तो छूने में सख्त थे, न ही पराबैंगनी प्रकाश में कोई विशिष्ट नीला-सफेद प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रहे थे।

9. 'छ' अंकित डिब्बा में एक आसमानी नीले रंग का जांघिया था, जो आरोपी गोविंद कुमार का बताया जा रहा है। इस पर भूरे रंग के धब्बे थे। इस पर धूसर रंग के धब्बे भी थे,

जो न तो छूने में सख्त थे और न ही पराबैंगनी प्रकाश में कोई विशिष्ट नीला-सफेद प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रहे थे।

10. 'ज' अंकित डिब्बा में एक पुराना नीला जांघिया था, जो आरोपी नागेंद्र कुमार का बताया जा रहा है। इस पर भूरे रंग के धब्बे थे। इस पर धूसर रंग के धब्बे भी थे, जो न तो छूने में सख्त थे और न ही पराबैंगनी प्रकाश में कोई विशिष्ट नीला-सफेद प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रहे थे।

11. 'झ' अंकित डिब्बे में एक पुराना मैरून रंग का जांघिया था जो आरोपी अनिल कुमार का बताया जा रहा है। उस पर भूरे रंग के धब्बे थे। उस पर धूसर-सफेद धब्बे भी थे जो न तो छूने में कठोर थे और न ही पराबैंगनी प्रकाश में विशिष्ट नीले-सफेद रंग का प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते थे।

जांच परिणाम

1. नीचे दिए गए प्रदर्शों में रक्त पाया गया है: -

(क) अंकित हुआ प्रदर्श 'क/1' में - छोटे क्षेत्रों में।

(ख) अंकित हुआ प्रदर्श 'ख/1' में - छोटे क्षेत्रों में।

(ग) अंकित हुआ प्रदर्श 'ड' में - रक्त बहुत कम है।

2. अंकित हुआ प्रदर्श 'झ' में - वीर्य पाया गया है।

3. प्रदर्श 'क/2', 'ख/2', 'ग', 'घ', 'च', 'छ', 'ज' और 'झ' अंकित हैं - उनमें रक्त नहीं पाया गया।

4. 'क/1', 'क/2', 'ख/1', 'ख/2', 'ग', 'घ', 'ङ', 'च', 'छ'

और 'ज' चिह्नित प्रदर्शों में वीर्य का पता नहीं चल सका।

5. 'ड' चिह्नित प्रदर्श में पाया गया रक्त रक्त विज्ञान

परीक्षण के लिए बहुत कम था।

6. रक्त और वीर्य की उत्पत्ति और समूह पर रक्त विज्ञान

रिपोर्ट बाद में दी जाएगी।”

38. एफ.एस.एल. रिपोर्ट में उल्लिखित लेखों के विवरण के संबंध में स्पष्टता

और परीक्षा के परिणाम को संक्षेप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, एफ.एस.एल. रिपोर्ट का सार नीचे सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है:-

पीडितों

पी-1	क-1 जांघिया	छोटे क्षेत्र में खून का पता चला	वीर्य का पता नहीं चला।
	क-2 कुर्ति	रक्त का पता नहीं चला	वीर्य का पता नहीं चला।
पी-2	ख-1 जांघिया	छोटे क्षेत्र में रक्त पाया गया।	वीर्य का पता नहीं चला।
	ख-2 कुर्ति	रक्त का पता नहीं चला	वीर्य का पता नहीं चला।

अपीलकर्ताओं

कमलेश कुमार	ग	जांघिया	खून नहीं, वीर्य नहीं।
सुजीत कुमार	घ	जांघिया	खून नहीं, वीर्य नहीं।
परशुराम कुमार	ङ	जांघिया	बहुत कम मात्रा में खून,

			कोई वीर्य नहीं
राज कुमार	च	जांघिया	खून नहीं, वीर्य नहीं।
गोविंद कुमार	छ	जांघिया	खून नहीं, वीर्य नहीं।
नागेंद्र कुमार	ज	जांघिया	खून नहीं, वीर्य नहीं।
अनिल कुमार	झ	जांघिया	रक्त का पता नहीं चला, वीर्य का पता चला।

39. जाँच के परिणाम का विश्लेषण करने पर, हम पाते हैं कि सभी पीड़ितों के जांघिया पर छोटे क्षेत्र में रक्त पाया गया था, जिसे प्रयोगशाला में क/1 और ख/1 के रूप में चिह्नित किया गया था। अपीलकर्ता परशुराम कुमार की एक काले-भूरे रंग की जांघिया पर, रक्त की इतनी कम मात्रा पाई गई जो रक्त विज्ञान परीक्षण के लिए बहुत कम थी। अपीलकर्ता अनिल कुमार की जांघिया पर वीर्य पाया गया। पीड़ितों की कुर्तियों पर न तो रक्त पाया गया और न ही उनकी जांघिया पर वीर्य पाया गया, जिन्हें एफ.एस.एल. में क/2 और ख/2 के रूप में चिह्नित किया गया था। कमलेश (अपीलकर्ता) (एफ.एस.एल. में 'ग' के रूप में चिह्नित), सुजीत कुमार (अपीलकर्ता) (एफ.एस.एल. में 'घ' के रूप में चिह्नित), परशुराम कुमार (अपीलकर्ता) (एफ.एस.एल. में 'ङ' के रूप में चिह्नित) और राजू कुमार उर्फ ठकमा (अपीलकर्ता) (एफ.एस.एल. में 'च' के रूप में चिह्नित), गोविंदा कुमार (अपीलकर्ता) (एफ.एस.एल. में 'छ' के रूप में चिह्नित), नागेंद्र कुमार (अपीलकर्ता) (एफ.एस.एल. में 'ज' के रूप में चिह्नित) की जांघिया पर कोई वीर्य नहीं पाया गया। अनिल कुमार (अपीलकर्ता) (एफ.एस.एल. में 'झ' के रूप में चिह्नित) की जांघिया पर वीर्य पाया गया था। इसके अलावा, कमलेश कुमार, सुजीत कुमार, परशुराम कुमार, राजू कुमार, गोविंदा कुमार, नागेंद्र कुमार और अनिल कुमार की जांघिया पर भी रक्त नहीं पाया गया। इस प्रकार, एफ.एस.एल. रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि सात आरोपियों की जांघिया

पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई थी और न्यायालयिक जांच के लिए भेज दी गई थी, हालाँकि, अपीलकर्ता अनिल कुमार की जांघिया को छोड़कर, जिसमें वीर्य पाया गया था और परशुराम कुमार की जांघिया में, जिसमें रक्त की इतनी कम मात्रा पाई गई थी कि उसे रक्त विज्ञान परीक्षण के लिए नहीं भेजा जा सका, आरोपियों के उक्त अंतर्वस्त्रों पर न तो रक्त पाया गया और न ही वीर्य। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, प्राथमिकी में सूचक द्वारा लगाए गए आरोप की प्रकृति और मौखिक साक्ष्य द्वारा मुकदमे में साबित करने की मांग, न्यायालय की राय में, चिकित्सा साक्ष्य और न्यायालयिक परीक्षण के परिणामों से भी विरोधाभासी है।

40. अभि.सा.-1 पीड़ितों का पिता है, जो घटना की तारीख को अपनी आजीविका कमाने के लिए पंजाब में थे। सामूहिक बलात्कार की जानकारी उसे उसकी पत्नी और उसके भाई मनोज (अभि.सा.-3) ने दी थी। पीड़ितों की माँ से मुकदमे में पूछताछ नहीं की गई है, हालाँकि उनका नाम आरोप-पत्र गवाहों की सूची में है। पी-2 (अभि.सा.-8) ने मुकदमे में अपनी गवाही में गवाही दी कि उसकी बहन पी-1 को उस समय चोटें आईं जब वह अभियुक्तों के चंगुल से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने यह भी बयान दिया कि अपीलकर्ता राजू उर्फ डाकमा ने घटना के शुरू से अंत तक लगातार अपनी बंदूक दिखाई थी और इसलिए, उसके द्वारा कोई शोर नहीं की गई थी। उसने यह भी कहा कि बलात्कार के दौरान वह बेहोश हो गई थी और उसे 12 बजे होश आई थी, जिसके बाद वह और उसकी बहन (पी-1) अपने घर लौट आईं। पी-1 (अभि.सा.-2) ने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा बलात्कार के अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हुए कहा कि बलात्कार की घटना की वीडियो बनाई गई थी और इसे फेसबुक पर डाल दिया गया था। लौटने पर उसने अपनी माँ को घटना के बारे में बताया था। सुबह में, वह कन्हौली थाना गई, जहाँ उसे हरिजन थाना जाने के लिए कहा गया था और वहाँ से उसे महिला थाना जाने के लिए कहा गया। प्राथमिकी उनके दादा ने लिखी थी, जिनसे मुकदमे में पूछताछ

नहीं की गई थी। हम पहले ही आई.टी. अधिनियम की धारा 67-ख के तहत दंडनीय अपराध के आरोप के संदर्भ में अभि.सा.-3 के साक्ष्य पर चर्चा कर चुके हैं। उसने अपने मुख्य-परीक्षण में बयान दिया था कि जब वह अपने घर में सो रहा था, तो पीड़ितों की माँ उसके पास आई और उसे जगाया। उसने उसे बताया कि पीड़िता लापता हैं और उससे उनकी तलाश करने का अनुरोध किया। पीड़ितों को खोजने के लिए वे तालाब की ओर गए जब उन्होंने पीड़ितों को रोते हुए पाया। पूछने पर, उन्होंने खुलासा किया कि उक्त अभियुक्त व्यक्तियों ने उनके साथ बलात्कार किया था। यह ध्यान देने योग्य है कि न तो पी-1 और न ही पी-2 ने मुकदमे में गवाही दी कि जब वे घटना के बाद अपने घर लौट रहे थे, तो उसकी माँ और चाचा (अभि.सा.-3) रास्ते में उनसे मिले थे। मुकदमे में यह उनका लगातार बयान है कि वे अपने घर लौट आए हैं और अपने घर लौटने के बाद उन्होंने अपनी माँ और दादा को घटना के बारे में बताया था। अभि.सा.-3 का बयान स्पष्ट रूप से असंगत है और अभि.सा.-2 (पी-1) और अभि.सा.-8 (पी-2) के साक्ष्य के साथ इस बिंदु पर परस्पर विरोधी है।

41. हमारे सुविचारित विचार में, पीड़ितों की माँ से पूछताछ न करने से मुकदमे में कोई स्पष्टीकरण न दिए जाने पर अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जा.अ. (अभि.सा.-6) का साक्ष्य कुछ पहलुओं पर भी प्रासंगिक है। उसने प्रवेश पंजिका पर पाए गए कटाई और अधिलेखन के मामले की जांच नहीं की थी।

42. अभियोजन पक्ष के मामले में स्पष्ट विसंगतियां हैं, जैसा कि पीड़िता द्वारा खुलासा किया गया है, और जैसा कि अभि.सा.-3 द्वारा मुकदमे में विकसित किया गया है, हमारी राय है कि ऐसे गवाहों के साक्ष्य के आधार पर इन अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को बनाए रखना सुरक्षित नहीं होगा, खासकर तब जब सामूहिक बलात्कार के आरोप का समर्थन न तो चिकित्सा साक्ष्य से होता है और न ही न्यायालयिक जांच के परिणाम से।

पीड़ितों की माँ, जो अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, घर में मौजूद थीं और जिन्हें पीड़ितों ने पहले घटना के बारे में खुलासा किया था, से पूछताछ न करना, हमारी राय में, अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। हमारा विचार है कि भा.द.स. की धारा 376 के तहत दंडनीय बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए भा.द.स. की धारा 375 के अर्थ के भीतर बलात्कार के अपराध को सभी उचित संदेहों से परे साबित करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है। अभियोजन पक्ष की ओर से बलात्कार के आवश्यक अवयवों को स्थापित करना अनिवार्य है। न्यायालय की राय में, अभियोजन पक्ष भा.द.स. की धारा 376 या 376-घ के तहत दंडनीय बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के अपराध को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सक्षम नहीं है। बलात्कार पीड़िता के बयानों को हमेशा सभी परिस्थितियों में सत्य नहीं माना जा सकता। तथ्यों और परिस्थितियों में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में सम्मोहक कारण हैं, जिनके लिए पीड़ितों के बयानों की पुष्टि करने की आवश्यकता है। तदनुसार हमारा विचार है कि अपीलकर्ता संदेह का लाभ दिए जाने के योग्य हैं। हमारी राय में, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि का निष्कर्ष टिकाऊ नहीं है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

43. उपरोक्त कारणों से, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि के आक्षेपित निष्कर्ष में हस्तक्षेप की आवश्यकता है और अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देकर बरी होने के हकदार हैं। तदनुसार, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम), सीतामढ़ी द्वारा सा.पंजी. सं. 2454/19, मुकदमा सं. 90/19, जो सीतामढ़ी महिला थाना मामला सं. 27/19 से उत्पन्न होता है, में पारित दिनांक 06.03.2020 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 17.03.2020 के सजा के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

44. अपीलकर्ता हिरासत में हैं। वर्तमान निर्णय द्वारा उन्हें बरी किए जाने के परिणामस्वरूप, यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।

45. इन अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

(चक्रधारी शरण सिंह, न्यायमूर्ति)

चंद्र प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति:-

में सहमत हूँ।

(चंद्र प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति)

पवन-सूरज

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।